संख्या-83/2025/।/1129302/2025/003-71-2099-45-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 अक्टूबर, 2025
2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 मे अनुदान संख्या-31 के राजस्व मद के अंतर्गत गैर वेतन में प्राविधानित प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-के0एस0एस0एस0सी0आई0/लेखा-34/214/2025-26 दिनांक 03.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद में मानक मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-52/2025/।/936335/2025/001/71-2099/45/2023, दिनांक 15.04.2025 एवं शासनादेश संख्या-75/2025/।/1074061/2025/002/71-2099/45/2023, दिनांक 01.09.2025 द्वारा धनराशि रू0 3000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद में मानक मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष तृतीय तृतीय किश्त की धनराशि रू0 1500.00 लाख (रूपये पंद्रह करोड़ मात्र) अवमुक्त करते हुए निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-</u>

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. निदेशक एवं वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
6. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,00,000 (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050308 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-147/दस-2025-26, दिनांक- 29 अक्टूबर, मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-83/2025/।/1129302/2025/003-71-2099-45-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in